न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 180/2016

बृजलाल पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी गांव खाटवां तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) —अपीलार्थी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी मोरजन्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. पालाराम पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी मोरजन्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद ढाणी कबूलशाह तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उप–पंजीयक एवं तहसीलदार सादुलशहर।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर

दिनांक 01.08.2016

उपस्थितः—

श्री श्याम सुन्दर अभिभाषक अपीलांट

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 व 2

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 29.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पों. सं. 1 व 2 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ

29/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र घीसाराम के परिवार की वंशावली दर्शात हुए पेश कर कथन किया कि चक 43 एम एम की खतौनी संख्या 123/36 में 12.1820 है0 भूमि में से प्रार्थीगण के नाम 2.707 है0 व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 0.338 है0 रकबा दर्ज है। जिसका आपसी बंटवारा कर अपनी–अपनी भूमि पर काबिज चले आ रहे है। खेताराम भाईयों में बड़ा था जिसके द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 01.08.1986 को वसीयत प्रार्थीगण के पक्ष में कर दी थी जिसके आधार पर प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे है फिर भी अप्रार्थी सं. 1 ने गलत रूप से विरासन इन्तकाल दर्ज कर लिया एवं भूमि को रहन बैय करने की फिराक में है। यदि ऐसा करने में वह सफल हो गया तो वादीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वह विवादित भूमि का रहन बैय आदि द्वारा मुन्तकिल नहीं करे।

अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने फर्जी वसीयत करवाई है जो प्रमाणित नहीं है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 01.08.2016 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि के मौका एवं रेकार्ड की वाद के निर्णय तक यथास्थति बनाये रखने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से जबाव प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जिसकी वसीयत खेताराम को करने का अधिकार नहीं था एवं प्रार्थीगण ने फर्जी वसीयत तैयार करवाई है। खेताराम की मृत्यु के पश्चात विरासतन इन्तकाल दर्ज हो चुका है। प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था फिर भी अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अतः निवेदन है

29/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 2016(1) आर.आर.टी. 113, 2016(2) आर.आर.टी. 1323 की नजीर पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खेताराम द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में वसीयत की थी एवं वसीयत के आधार पर प्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज चले आ रहे है। खेताराम की मृत्यु के पश्चात विरासतन इन्तकाल दर्ज होने पर अप्रार्थी भूमि को आगे रहन बैय करने की फिराक में है। यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो प्रार्थीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अधी.न्यायालय ने उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण अपने पक्ष में वसीयत होना बता रहे है जबकि अपीलांट वसीयत को फर्जी होना बता रहे है। वसीयत फर्जी है या नहीं, प्रार्थीगण को इससे क्या हक व अधिकार प्राप्त होगें इसका इसका निर्णय तो मूल वाद में होगा। यदि वाद के निर्णय से पूर्व भूमि के मौका एवं रेकार्ड में परिवर्तन हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढने की सम्भवना रहेगी। अधी. न्यायालय ने धारा 212 आरटीए के तीनों कारकों यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विवेचन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर